न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/112/16

बउनवान

1. मोहनलाल पुत्र मंगी जाति जाटव निवासी नंगलामाधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

—— वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी स्कीम नं010 गली नं0 3 पानी की टंकी के पास अलवर
2. अंगूरी पुत्री मवासी पत्नी भंवर जाति जाटव निवासी पथैना
3. नानगी पुत्री मवासी पत्नी सुमेरसिंह जाति जाटव निवासी पथैना
4. केसू पुत्र सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर
5. रामरतन पुत्र सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर
6. मोहरसिंह पुत्र सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर
7. छोटकी वेवा सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर
8. ग्राम पंचायत दारौदा पंचायत समिति कठूमर
9. तहसीलदार साहव कठूमर
10. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राधाबल्लभ भार्मा एडवोकेट वकील वादी

श्री संजय अवस्थी एडवोकेट :– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ला0 7

निर्णय

दिनांक 11/02/2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 076 हे. (3 वीघा) जिसका साविक खसरा नम्बर 337 रकवा 3 वीघा ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी वावत

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में वादी के पिता मंगी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 के पिता मवासी तथा प्रतिवादी सं0 4 ला0 6 वो 7 के कमशः पिता व पति सांझा के नाम वहिस्सा बराबर खातेदारी वादी के पिता मंगी के नाम तन्हा वकाश्त (उपकृशक) के इन्द्राजात दर्ज है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 के पिता मवासी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ला0 7 के नाम 1/3 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण के नाम 2/3 हिस्सा विवादित आराजी खातेदारी में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से दर्ज है। विवादित आराजी अकेले वादी के पिता मंगी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व काफी अर्सा पहले गांव के जमीदार विश्वेदारों से दबाई गई खुद कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी को दबाने से पहले मंगी मवासी सांझा अलग अलग रहते थे और इस विवादित आराजी को दवाने से पहले प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 के पिता मवासी फिरोजाबाद चला गया वहीं वह चूडी बनाने का कारोवार करता था और वही रहने लग गया। वही प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 का जन्म हुआ। फिरोजाबाद में ही प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 के मा बाप फौत हो गये। इसके वाद आज से अर्सा करीब 35 साल पहले ये फिरोजाबाद से अलवर आ बसे है और इस आराजी के दवाने से पहले प्रतिवादी संख्या 4 ला0 7 कमशः पिता एंव पति सांझा ग्राम नगलामाधोपुर छोड कर ग्राम निजाम नगर चला गया। वहां करीब 40 साल रहा वहां की जायदाद वेचकर सांझा वापिस करीब 30 साल पहले वापिस नगलामाधोपुर आ गया। प्रतिवादगण ग्राम नगलामाधोपुर छोडकर करीब 70 साल पहले फिरोजाबाद यानि जाम नगर चले गये। विवादित आराजी तन्हा वादी द्वारा दबाई गई खुद कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा कानून के आदेशात्मक प्रावधानों के तहत वादी को विवादित आराजी वावत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है। राजस्व एंव सैटलमेंण्ट कर्मचारियान को विवादित आराजी का 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज ना कर कानूनी प्रावधानों के तहत तन्हा वादी की ही खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम विवादित आराजी वावत 2/3 हिस्सा के खातेदारी के इन्द्राजात खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व व नुमाइसी है। मवासी फौत हो गया जिसका विरासत इन्तकाल अभी तस्दीक नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं0 2–3 ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से मवासी के नाम आये नुमाइसी खातेदारी के इन्द्राजात के आधार पर 2/9 हिस्सा वावत हक त्याग प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 15.05.2008 को तहरीर कर पंजीवद्व करवाया है। विवादित आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 को 1/3 हिस्सा वावत किसी तरह के राइट टाइटल व इण्ट्रेस्ट पैदा नहीं होते है। इस वजह से उक्त हक त्याग नुमाइसी व प्रभावहीन है। वादी को गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से गलत इन्द्राज को सही कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण वादी के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व रहन वय करने को अमादा है व नुमाइसी हकत्याग के आधार पर अपने नाम इन्तकाल स्वीकार कराने को उतारू है। यदि प्रतिवादगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादी को अपार हानि व नुकशान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः वादी ने विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा की अपने नाम खातेदारी की घोशणा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। उक्त आराजी विवादित आराजी ना होकर वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ला07 के 1/3 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। पक्षकारान उक्तानुसार काविज रहकर काश्त कर रहे है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी वावत वादी एंव प्रतिवादीगण के वुजुर्गान की खातेदारी दर्ज है। वादी के पिता के मंगी के नाम तन्हा वकाश्त(उपकृशक) के इन्द्राजात दर्ज नहीं है। राजस्व रेकार्ड में 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में सही दर्ज है तथा 2/3 हिस्से पर कब्जे काश्त में है। यह गलत है कि विवादित आराजी को वादी के पिता मंगी अकेले ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व जमीदारान विश्वेदारान से दबाई हो। यदि कोई खातेदार व्यक्ति वाहर चला जाता तो उसकी खातेदारी की आराजी में उसके हक वो अधिकार समाप्त नहीं होते। वादी को विवादित आराजी वावत किसी तरह के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। हाल राजस्व रेकार्ड सही है। हकत्याग सही रूप से कराया गया है। हक त्याग को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण के हिस्से को हडपने की नियत से मौजूदा दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा

उपखण्ड अधिकारी
कपूसर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पूरा अधिकार है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो खारिज किया जावे।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2005 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2003 प्रदर्श–4, जमाबन्दी संवत् 2013 प्रदर्श–5, ख0गि0 संवत् 2018 से 2021 प्रदर्श–6, ख0गि0 संवत् 2028 से 2030 प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत् 2060 से 2066 वाके ग्राम नगलामाधोपुर व नकल रिलीजडीड प्रदर्श–10 पेश की है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 मोहनलाल, गवाह पी डब्ल्यू 2 बाबूलाल के वयान लेखवद्व कराये प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में कोई गवाह पेश नहीं किया है।

वादी के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल 6 तनकियां कायम की गयी। जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार किया जा रहा है।

तनकी संख्या 1 इस प्रकार से है कि आया वादी आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 0.76 हे. वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से वहैसियत उपकृशक कब्जे में है। जो कानून के आदेशात्मक प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का वाद रेवन्यु रेकार्ड साक्ष्य गवाहान तथा कानूनी प्रावधानों के तहत डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाव दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान के वयान का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 388 रकवा 3 वीघा जो प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल से खसरा नम्बर साविक 337 रकवा 3 वीघा प्रमाणित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 388 पर वादी का कब्जा वहैसियत उपकृशक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही लगातार मौके पर चला आना प्रमाणित है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2009, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2013 में वादी के पिता मंगी की वकाश्त दर्ज है तथा प्रदर्श–5 ख0गि0 संवत् 2014 ला0 2017 प्रदर्श– 6 ख0गि0

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

Scanned by CamScanner

संवत् 2018 ला0 2021 प्रदर्श–7 ख0गि0 संवत् 2028–29 में वादी के पिता मंगी की वकाश्त दर्ज है मौखिक साक्ष्य पी डब्ल्यू 1 मोहनलाल व पी डब्ल्यू 2 बाबूलाल के बयानों से भी विवादित आराजी पर वादी का कब्जा सावित है। कानूनन यदि व्यक्ति अन्य की खातेदारी की भूमि पर दिनांक 31.12.69 तक वहैसियत उपकृशक काविज काश्त में है तो उसे कानूनी प्रावधानों के तहत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा की आराजी पर प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज है कि जिस 2/3 हिस्सा की आराजी पर वादी का वहैसियत उपकृशक कब्जा काश्त समस्त राजस्व रेकार्ड व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर आर डी 2003 पेज 376 वादी के वाद के समर्थन पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। कानूनन विवादित आराजी वावत जव वादी को 2/3 हिस्सा की आराजी वावत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तव सैटलमेण्ट विभाग को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा की आराजी को प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था बल्कि विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा की आराजी वादी के नाम दर्ज करनी चाहिए थी। प्रदर्श–8 जमाबन्दी संवत् 2018 व प्रदर्श–9 जमाबन्दी संवत् 2063 ला0 66 के 2/3 हिस्सा वावत प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी के इन्द्राज नुमाइसी है प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है कि जिससे यह सावित होता हो कि उनका विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर कब्जा है। अतः समस्त राजस्व रेकार्ड मौखिक साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के तहत विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा वावत वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 1 वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 इस प्रकार से है कि आया वादी आराजी खसरा नम्बर 388 वाके ग्राम नगलामाधोपुर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही मौके पर कब्जे काश्त में है जिस वावत वादी प्रतिवादी को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से वादी के हक में सावित हो चुकी है तथा विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त वहैसियत खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही प्रमाणित है। अतः वादी विवादित आराजी वावत प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

का अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 इस प्रकार से है कि आया रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 15.05.2008 हक हकूक वादी प्रारम्भ से ही भून्य नाकाविल पाबन्दी नल एण्ड बॉयड प्रभावहीन करार दिलाने का वादी अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा वावत मवासी के नाम खातेदारी के इन्द्राज नुमाइसी तरीके से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे। मवासी के फौत हो जाने पर उसकी पुत्री नानगी व अंगूरी ने अपने हिस्से का प्रतिवादी सं0 1 को विना किसी हक व अधिकार के नुमाइसी खातेदारी के इन्द्राजात के आधार पर हक त्याग दिनांक 15.05.2008 को खिलाफ कानून खिलाफ मौका तहरीर कर पंजीवद्व करा दिया। विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा पर जव मवासी का ही कोई कब्जा नही था और कानूनन मवासी के विवादित आराजी वावत खातेदारी अधिकार खत्म होकर जव वादी में निहित हो गये तव मवासी की पुत्री नानगी व अंगूरी द्वारा प्रतिवादी सं01 को कराया गया हकत्याग दिनांक 15.05.2008 प्रारम्भ से ही भून्य नल एण्ड बॉयड तथा प्रभावहीन है। अतः प्रतिवादी सं0 1 के हक में हकत्याग दिनांक 15.05.2008 प्रारम्भ से ही भून्य नल एण्ड बॉयड तथा प्रभावहीन करार दिया जाकर यह तनकी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 इस प्रकार से है कि आया आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 3 वीघा के 2/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण मौके पर कब्जे काश्त में है। इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी संख्या 1 –2 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की सावित हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है कि जिससे विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा सावित हो। विवादित आराजी सालिम पर वादी का कब्जा प्रमाणित है। अतः यह तनकी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 इस प्रकार से है कि आया वाद वादी न्यायालय श्रीमान के काविल सुनवाई के क्षैत्राधिकार में नहीं है। इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी का वाद विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा वावत खातेदारी अधिकार घोशित किये जाने वावत व प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का है जिस वाद को सुनने का अदालत हाजा को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादी निर्णीत की जाती है।

दादरसी। तनकी संख्या 1 से 5 तक के विस्तृत विवेचन से वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की गयी है। प्रतिवादीगण किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। अतः वाद वादी सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 0.76 हे.(3 वीघा) वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर का 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज खातेदारी के इन्द्राज कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 11/2/19 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/112/16

बउनवान

1. मोहनलाल पुत्र मंगी जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

—— डिकीदार

बनाम

1. रामकिशन पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी स्कीम नं010 गली नं0 3 पानी की टंकी के पास अलवर
2. अंगूरी पुत्री मवासी पत्नी भंवर जाति जाटव निवासी पथैना
3. नानगी पुत्री मवासी पत्नी सुमेरसिंह जाति जाटव निवासी पथैना
4. केसू पुत्र सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर
5. रामरतन पुत्र सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर
6. मोहरसिंह पुत्र सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर
7. छोटकी वेवा सांझा जाति जाटव निवासी नगलामाधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर
8. ग्राम पंचायत दारौदा पंचायत समिति कठूमर
9. तहसीलदार साहव कठूमर
10. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 0.76 हे. (3 वीघा) वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर का 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज खातेदारी के इन्द्राज कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

,ब्जा ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वीन अंकन करें।

आज दिनांक 11/2/19 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner